भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 751

07 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

751. श्री रमाकान्त भार्गव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को उनके खान-पान के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 75 प्रतिशत गेहूं और 25 प्रतिशत चावल उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) अखिल भारतीय आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति होता है।

वर्तमान में, 2,91,149.575 टन खाद्यान्न, जिसमें 1,16,459.830 टन गेहूं और 1,74,689.50 टन चावल शामिल है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को आवंटित किया जा रहा है। खाद्यान्न स्टॉक का प्रबंधन सुनिश्चित करने, फोर्टिफाइड चावल के वितरण हेतु चावल स्टॉक को रखने और लॉजिस्टिक पर दबाव कम करने के उद्देश्य से सरकार ने मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में खाद्यान्न आवंटन के अनुपात को संशोधित किया है। इस मामले की भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से मई 2023 के अंत में समीक्षा की गई थी और मध्य प्रदेश सहित सभी संबंधित 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संशोधित राशन को समान रूप से जारी रखने का निर्णय लिया गया था।

*****